शासनादेश जारी : सातवें वेतन आयोग के मूल वेतन पर मिलेगा डीए, अगस्त माह के वेतन के साथ सितम्बर में नगद भुगतान

राज्यकर्मियों का डीए चार फीसदी बढ़ा

लखनऊ | विशेष संवाददाता

प्रदेश सरकार ने 22 लाख कर्मचारी-शिक्षकों का डीए (महंगाई भत्ता) चार फीसदी बढ़ा दिया है। गुरुवार शाम को इसका शासनादेश जारी कर दिया। पहली जनवरी 2017 से डीए बढ़ी हुई दर पर दिया जाएगा।

वित्त सचिव अजय अग्रवाल की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार पहली जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2017 तक डीए का एरियर कर्मचारियों और शिक्षकों के पीएफ में जमा किया जाएगा, जबकि पहली अगस्त के वेतन के साथ सितम्बर माह में चार फीसदी डीए का नकद भुगतान किया जाएगा।

बढ़ा हुआ डीए सातवें वेतन आयोग के मूल वेतन पर दिया जाएगा। प्रैक्टिस बंदी भत्ता वेतन में शामिल माना जाएगा और डीए की गणना प्रैक्टिस भत्ते को शामिल करके होगी। लेकिन विशेष, वैयक्तिक वेतन और अन्य भत्ते मूल वेतन में शामिल नहीं माने जाएंगे।

जिन लोगों को सातवां वेतन नहीं मिल रहा है, उन कर्मचारियों और शिक्षकों को पहली जनवरी 2017 से मूल वेतन का 136 फीसदी डीए दिया जाएगा। जिनका छठा वेतन भी नहीं लगा है, उनको पहली जुलाई 2016 से वेतन और डीए के योग 256 फीसदी और पहली जनवरी 2017 से वेतन और डीए के योग 264 फीसदी के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

जिन कर्मचारी शिक्षकों का पीएफ खाता नहीं है, डीए का एरियर उनके पीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा या एनएससी के रूप में दिया जाएगा। जो कर्मचारी और शिक्षक नई पेंशन योजना के तहत आते हैं, उनकी 10 फीसदी के बराबर डीए की धनराशि टियर-1 खाते में जमा की जाएगी, जबकि एरियर की 90 फीसदी धनराशि एनएससी के रूप में दी जाएगी।

रिटायर कर्मियों को पूरा डीए नकद

जो कर्मचारी शिक्षक शासनादेश जारी होने से पहले रिटायर हो चुके हैं या अगले छह माह के अंदर रिटायर होने वाले हैं, उनको डीए की पूरी धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।

इन्हें मिलेगा फायदा

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों-कर्मचारियों, शहरी निकायों के कर्मचारियों और वर्कचार्ज कर्मचारियों को फायदा मिलेगा

01

जनवरी 2017 से देय डीए का जुलाई 2017 तक का एरियर कर्मचारी के पीएफ में जमा होगा

22

लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा बढ़े महंगाई भत्ते का फायदा

केंद्र में सात फीसदी, यहां चार फीसदी डीए

केंद्र सरकार में कर्मचारियों और शिक्षकों को सात फीसदी बढ़ा डीए मिल रहा है, जबकि यहां के कर्मचारी-शिक्षक अब कुल चार फीसदी बढ़ा डीए ही पाएंगे। इसकी वजह यह है कि इसी पहली जुलाई 2017 को केंद्र ने अपने कर्मचारियों को तीन फीसदी डीए और दे दिया है। यह तीन फीसदी डीए यूपी सरकार को और देना होगा। अभी चार फीसदी डीए पिछला वाला दिया है। एक डीए विशेषज्ञ का कहना है कि पहली जुलाई 2016 से देय दो फीसदी डीए उन्हें नवम्बर 2016 से ही मिल रहा है। बाकी तीन फीसदी कब मिलेगा, यह अभी पता नहीं है।